

पत्रांक - 543 दिनांक - 13.07.2024

सेवा में, अधीन स्ट्रिक में, एम.
एम. ई. देवपट्ट

अनुसूची 22-बपप सं० 1019

संपत्ति - अवधार - प्रमाण - पत्र

संख्या सं० - 334 - 1024

दिनांक 10.07.2024
आवेदन सं० - 7 - 20

यूनिट (श्री - Vishnu Kumar Bagaria) ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवधारों का प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण है)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रमाणित करीबालि संव्यवहारों और अवधारों के बारे में बही 1 से और उससे सम्बन्ध अनुक्रमानुसार से ता० 61-61-1983 से ता० 10/07/2024 तक उलाखी की गई और ऐसी उलाखी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों और अवधारों का पता चला :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति विवरण		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	पृष्ठ	पृ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मौजा - श्री सागरी			प्लान नं० - 582	Jambandino -			
				1229 sub plot no - 643, 644, 645, 646 -				
				ward no - 28	Holdings no - 0280003321 -			
				0004 Area of land - 1, 15, 537 sq-ft				


(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1 बचक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। यह कि इनके बारे में उल्लेख हो।
2 पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और लगान दर्ज करें।

(2)

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशों को और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- लिपिक

तलाशों की सत्यापन और प्रमाण-पत्र को जॉन निम्न व्यक्ति ने की


(हस्ताक्षर) :- A.K. Chaudhary

(पदनाम) :- Leaflet

कार्यालय सिला निम्न अपरिल
द्वारा
सारीख



निवन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर


31/07/2024

टिप्पणी (१)- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति-विवरण के अनुसार दिये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(२) निवन्धन अधिनियम की धारा १७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिश्चित संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को अहरत हो उन्हें तलाशों स्वयं करनी होंगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(३) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशों नहीं की हैं, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भंडारक सहाय्यानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(४) और चूंकि वर्तमान मामले से आवेदक ने अपेक्षित तलाशों स्वयं की हैं और चूंकि इसके द्वारा दूटे गये गये संव्यवहारों और अवधारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिखाया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूटे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छंट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।